न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 08/2021 जिला–सीकर।

दिनेश अग्रवाल पुत्र श्री केदार मल अग्रवाल जाति महाजन निवासी नीमकाथाना रोड, अजीतगढ तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

अपीलान्ट्

बनाम

1. संतोष कुमार पुत्र रामगोपाल
2. कमलेश कुमार पुत्र रामगोपाल
3. रामगोपाल पुत्र गंगासहाय
   समस्त जाति जांगिड निवासी वार्ड नं0 1 गोपाल कॉलोनी नीमकाथाना रोड अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
4. राजस्थान सरकार जरिये कलेक्टर जिला सीकर।
5. मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर
6. जिला कलेक्टर सीकर
7. मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार
8. अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार
9. कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, नीमकाथाना सीकर
10. सीनियर डिवीजन रिटेल मैनेजर इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0डिवीजन कार्यालय प्रथम तल, एल.आई.सी. इनवेंट मेंट बिल्डिंग, फेस द्वितीय अम्बेडकर सर्किल के पास भवानी सिंह रोड, जयपुर।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर सीकर दिनांक 25.01.2021 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री शशिशेखर गौड।
2. वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 श्री श्यामबाबू पारिक।
3. रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 से 9 की ओर से श्री चन्द्रशेखर वेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।
4. वकील रेस्पोडेंट संख्या 10 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा।

निर्णय

दिनांक 24.08.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 25.01.2021 के खिलाफ दिनांक 09.02.2021 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के समक्ष अपनी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 2723/499 रकबा 1.1385 है0 स्थित वाके ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में से 0.1225 है0 अर्थात 1225 वर्ग मीटर भूमि वाणिज्यक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ सम्परिर्वतन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
3. रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2021 के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2723/499 रकबा 1.1385 है में से 1225 वर्गमीटर भूमि वाणिज्यक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया।
4. न्यायायल जिला कलक्टर सीकर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। दौराने अपील अधिवक्त अपीलांट् ने प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पेश किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में एक कृषि भूमि खसरा नम्बर 2723/499 रकवा 1385 है0 किस्म बारानी स्थित है। जिसमें से रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा वाणिज्यक (पेट्रोल पम्प) के प्रयोजनार्थ के खसरा नम्बर 2723/499 रकबा 1.1385 है0 किस्म बारानी में से 0.1225 अर्थात 1225 वर्गमीटर भूमि को संपरिवर्तन करवाने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 6 के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गई तथा आपत्ति मांगे जाकर दिनांक 25.01.2021 को रेस्पोडेंट संख्या 06 के द्वारा संपरिवर्तन आदेश क्रमांक एफ 16(05) भू0रू0/ ग्रामीण क्षैत्र/राजस्व/2021/247 दिनांकित 25.01.2021 पारित कर दिया गया। अधिवक्ता अपीलांट् का कथन है कि खसरा नम्बर 2723/499 के 300 मीटर के अन्दर में दक्षिण दिशा में अजीतगढ की तरफ खसरा नम्बर 504 राजस्व रिकार्ड के मुताविक गैर मुमकिन रास्ता है जो मौके पर चालू है तथा खसरा नम्बर 2723/499 के उत्तरी–पूर्वी दिशा में गढटकनेत रोड तक की तरफ मौके पर रास्ता है जो कि भूमि खसरा नम्बर 300, 302 से होकर गुजरता है। जिसकी दूरी 300 मीटर के अन्दर है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने संपरिवर्तन आदेश दिनांक 25.01.2021 में इण्डियन रोड कांग्रेस के अनुसार निर्धारित भूमि छोडने के उपरान्त संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है जबकि इण्डियन रोड कांग्रेस के नियमानुसार उक्त पेट्रोल पम्प पर आने हेतु दोनो तरफ निर्धारित भूमि आवागमन हेतु छोडी जानी आवश्यक है जो की नही है। ऐसी स्थिति में इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डो की अवहेलना करते हुये विधि विरूद्ध रूप से अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय व साम्या के सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा जारी संपर्रिवतन आदेश दिनांक 25.01.2021 की पालना में निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अतः प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे।

7. रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 3, 10 के योग्य अधिवक्ताओ एवं राजकीय अधिवक्ता ने वहस के दौरान अपील के तथ्यो का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि रेस्पोडेंटस् संख्या 01 लगायत 03 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के समक्ष राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रो में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनो के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2723/499 रकवा 1.1385 है0 तन ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में से 0.1225 है0 भूमि को वाणिज्यक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, तहसीलदार श्रीमाधोपुर एवं सहायक अभियंता सा.नि.वि. से रिपोर्ट प्राप्त होने एवं इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डो के अनुसार सडक के मध्य बिन्दु से 40 मीटर तक भूमि खसरा नम्बर 2722/499 रकबा 0.1015 है0 अर्थात 1015 वर्ग मीटर भूमि पगडण्डिया तथा रास्ते हेतु समर्पित की जाने के पश्चात विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2021 पारित कर रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 03 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2723/499 रकवा 1.1385 है0 तन ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में से 0.1225 है0 भूमि को वाणिज्यक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

किया गया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांट् सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट् खारिज की जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये यह भी कथन किया गया कि अपीलांट् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही थे तथा न ही वे अपीलाधीन आदेश से पीडित एवं प्रभावित है। ऐसी स्थिति में उन्हे अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किये जाने योग्य है।

8. मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर निर्णय पारित किया जाना उचित है। अपीलांट् द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी में अंकित किया गया है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा वाणिज्यक (पेट्रोल पम्प) के प्रयोजनार्थ खसरा नम्बर 2723/499 रकबा 1.1385 है0 किस्म बारानी ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में से 0.1225 है0 अर्थात 1225 वर्गमीटर भूमि को संपरिवर्तन कराने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 06 के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर आपत्ति मांगी जाकर दिनांक 25.01.2021 को अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के द्वारा संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि वादग्रस्त आराजी के 300 मीटर के अन्दर में दक्षिण दिशा में अजीतगढ की तरफ खसरा नम्बर 504, राजस्व रिकार्ड के मुताबिक गैर मुमकिन रास्ता है जो मौके पर चालू है तथा अपीलांट् का वादग्रस्त भूमि में हित निहित है। हम समझते है कि अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि पर हित होना प्रथम दृष्टया स्वीकार नही किया जा सकता है क्योंकि जिस भूमि का रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 3 के द्वारा वाणिज्यक (पेट्रोल पम्प) के प्रयोजनार्थ बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है वह भूमि रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 03 की खातेदारी भूमि है जिसमें रेस्पोडेंट संपरिवर्तन कराने का हकदार है। विवादित भूमि में अपीलांट् ना तो खातेदार है ना ही हितबद्ध अथवा पीडित व्यक्ति है जिससे उनके हित निहित हो। इस प्रकार प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी में वर्णित तथ्य पर्याप्त एवं समुचित नही होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाता हैं।

9. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, रेस्पोडेंटस् संख्या 01 लगायत 03 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के समक्ष राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रो में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनो के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2723/499 रकबा 1.1385 है0 तन ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में से 0.1225 है0 भूमि को वाणिज्यक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, तहसीलदार श्रीमाधोपुर एवं सहायक अभियंता सा.नि.वि. से रिपोर्ट प्राप्त होने एवं इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डो के अनुसार सडक के मध्य बिन्दु से 40 मीटर तक भूमि खसरा नम्बर 2722/499 रकबा 0.1015 है0 अर्थात 1015 वर्ग मीटर भूमि पगडण्डिया तथा रास्ते हेतु समर्पित की जाने के पश्चात विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2021 पारित कर रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 03 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2723/499 रकबा 1.1385 है0 तन ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में से 0.1225 है0 भूमि को वाणिज्यक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है। हम समझते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 29.09.2014 की अनुपालना करते हुये रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 03 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2722/499 रकबा 0.1015 है0 अर्थात 1015 वर्ग मीटर भूमि रास्ते में समर्पण करने के पश्चात विधिक प्रकिया अपनाते

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई सारभूत विधिक त्रुटि कारित किया जाना नही पाया जाता है तथा अपील खारिज किये जाने योग्य है। हम अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नही होने तथा गुणावगुण रहित होने के आधार पर अपील अपीलांट् अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

24/8/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/8/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner